न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अजमेर

रिमाण्ड प्रकरण सं0 03/2012

(1) हगामी देवी
(2) मुन्नी देवी
(3) सुगनी देवी
समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम छातडी तहसील व जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

(1) लक्ष्मण उर्फ कल्याण पुत्र रेवता
(2) घीसू पुत्र रेवता (मृतक) जरिये वारिसान
2/1 मनबर बैवा घीसू
2/2 शारदा पुत्री घीसू
2/3 महेन्द्र पुत्र घीसू
2/4 सीमा पुत्री घीसू
2/5 बज्जू पुत्र घीसू
2/6 राजू पुत्र घीसू
समस्त जाति गुर्जरान निवासी ग्राम छातडी तहसील व जिला अजमेर।
(3) भीलवाडा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शास्त्री नगर अजमेर जरिये शाखा प्रबन्धक।
(4) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील निर्णय विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री .....अभिभाषक (अपीलान्ट)
2. श्री .....अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय

दिनांकः– 03/03/2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

ग्राम छातडी के ख0न0 873, 874 एवं 876 कुल किता 3 रकबा 03–03–10 के खातेदार रेवता पुत्र जोरा थे। रेवता के स्वर्गवास बाद विरासत के नामान्तरकरण सं0 101 दिनांक 26.05.1989 अप्रार्थी संख्या 1 व 2/1 से 2/6 के पिता/पति घीसू के य रामकरण जो लाओलाद फौत हो चुका है के नाम सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अजमेर द्वारा रेवता के सभी वारिसान की बिना जांच किये अपीलान्ट के पिता की खातेदारी स्वीकृत करने के विरूद्ध एक अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर में प्रस्तुत की गई।

माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर ने प्रकरण संख्या 42/2011 उनवान हगामीदेवी व अन्य बनाम लक्ष्मण व अन्य दर्ज किया जाकर मा0 न्यायालय ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर दिनांक 20.01.2012 को निर्णय पारित कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 101 दिनांक 26.05.1989 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि मृतक खातेदार रेवता के समस्त विधिक वारिसानों की जांच कर दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत आदेश पारित करें।

तहसीलदार, अजमेर

मा0 न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर के प्रकरण संख्या 42/2011 में परित निर्णय दिनांक 20.01.2012 की पालना में रिमाण्ड प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, अजमेर में दिनांक 17.02.2012 को दर्ज किया जाकर प्रकरण में पटवारी हल्का छातडी से मृतक खातेदार रेवता के समस्त विधिक वारिसानों की जांच करवाई गई एवं सम्बन्धित पक्षकारान को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करते हुए नोटिस जारी किये गये।

पटवारी हल्का छातडी ने रिपोर्ट दिनांक 19.04.2012 से मौका पर्चा दिनांक 17.04.2012 प्रस्तुत किया। जिसमें मृतक रेवता पुत्र जोरा के निम्न वारिसान बताये गये–

(1) घीसू (फौत) पुत्र रेवता
1/1 सूरज पुत्र घीसू (फौत) (पत्नि तिजी नाते गई)
1/2 महेन्द्र पुत्र घीसू
1/3 राजेन्द्र पुत्र घीसू
1/4 विजेन्द्र पुत्र घीसू
1/5 शारदा पुत्री घीसू
1/6 सीमा पुत्री घीसू
1/7 मनभर पत्नि घीसू
(2) लक्ष्मण पुत्र रेवता
(3) रामकरण (अविवाहित फौत) पुत्र रेवता
(4) सुगनी पुत्री रेवता
(5) मन्नी पुत्री रेवता
(6) इगामी पुत्री रेवता

प्रकरण में **अपीलान्ट इगामी ने दिनांक 02.11.2015** को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि –

1. यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से आपसी राजीनामा हो गया है। इस कारण प्रार्थी उक्त प्रकरण को अब आगे नहीं चलाना चाहता है एवं ना ही कार्यवाही चाहता है।
2. यह कि अप्रार्थी के पक्ष में जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण को बहाल रखा जाता है तो मुझ प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति एवं उज्र नहीं है।
3. यह कि न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रकरण को आगे नहीं चलाये जाने से प्रकरण को **विड्रो** फरमाया जावे।

इसी प्रकार प्रकरण में अन्य अपीलान्ट मुन्नी एवं सुगनी ने भी केम्प कोर्ट ग्रा0प0 कायमपुरा में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त वाद को आगे नहीं चलाने हेतु निवेदन करते हुए प्रकरण को खारिज करने का निवेदन किया। इसकी पुष्टि में सरपंच ग्राम पंचायत कायमपुरा प0स0 श्रीनगर ने भी उक्त प्रार्थना पत्र अपने हस्ताक्षर किये हुए है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2015 के अनुसार प्रकरण को विड्रो किये जाने के कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 101 दिनांक 26.05.1989 को पूर्वानुसार कायम रखा जाता है एवं प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त करते हुए अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जाता है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक [illegible] को सुनाया गया।

(प्रीति चौहान)
तहसीलदार
एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट
अजमेर